

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 03/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

आवेदक

बनाम

ब्रजमोहन कुन्तल पुत्र श्री लालाराम कुन्तल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स कुन्तल डेयरी, सारस चौराहा, विजय नगर, भरतपुर निवासी वार्ड नम्बर 39 विजय नगर कॉलोनी सारस चौराहा भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (i)(zx), 26(2) (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 08.01.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (i)(zx), 26(2) (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 02.01.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 08.01.2020 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 08.01.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 09.06.2017 को दोपहर 01.45 बजे गैरसायल की डेयरी का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण डेयरी पर 5 पीपों में लगभग 70 किग्रा0

सपरेटा दही का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 800 ग्राम सपरेटा दही 20/-रूपये में क़य किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-547/एक्ट/2017/568 दिनांक 27.06.2017 द्वारा उक्त सपरेटा दही का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का सपरेटा दही आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 3 (i)(zx), 26(2) (ii) का उल्लघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोजेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी अपनी डेयरी पर काफी समय से सपरेटा दही का निर्माण कर विक्रय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 09.06.2017 को गैरसायल की डेयरी से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित सपरेटा दही का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.06.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य विश्लेषक अलवर की नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 27.06.2017 में Butyro refrecometer Reading at 40°C का मानक 40.0 से 44.0 होना चाहिये था लेकिन बिल्कुल नहीं पाया गया है, Total Milk solids not fat (Milk SNF% By weight) का मानक Min=8.70% होना चाहिये था लेकिन 6.89% पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाये गये है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर

10000/- रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।  
गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली  
फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)  
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
भरतपुर